Publication: **Economic Times** | Region: **Delhi** | Date: **08/07/2015** | Page No.: **04**

पॉलिसीहोल्डर्स के प्रोटेक्शन के लिए आगे आया IRDA

इंश्योरेंस कंपनियों के कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े मसले हल करेगा रेगुलेटर

| आत्मदीप रे | कोलकाता |

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) ने इंश्योरेंस कंपनियों के कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े मुद्दे हल करने की योजना बनाई है। इस कदम का मकसद पॉलिसीहोल्डर्स के हितों का संरक्षण है।

इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों के बोर्ड का स्ट्रक्चर मजबूत करने और उसे बढ़ाने का प्रपोजल दिया है जिससे इनवेस्टमेंट और ऑडिट कमेटी जैसे अलग-अलग रोल्स के बीच कोई हितों का टकराव न हो। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए रेगुलेशंस बनाने को लेकर इरडा ने सुझाव मांगे थे। इन सुझावों को इनवेस्टमेंट रेगुलेशन ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। इस ड्राफ्ट को टिप्पणियों के लिए पिछले सप्ताह मेंबर्स को दिया गया। बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के CEO मयंक बथवाल ने ईटी को बताया, 'इसका मकसद कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रोसेस में सुधार करना है।' लाइफ और जनरल इंश्योरेंस दोनों कंपनियों को अपनी कमेटी के स्ट्रक्चर में बदलाव करने पड़ सकते हैं क्योंकि इरडा ने उनसे इनवेस्टमेंट और ऑडिट कमेटियों में समान सदस्यों को शामिल करने से बचने का तरीका निकालने को कहा है। इरडा के ड्राफ्ट में कहा गया है, 'बोर्ड इनवेस्टमेंट पॉलिसी और उसे लागू करने के काम की छमाही आधार पर या पॉलिसीहोल्डर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए इससे कम अवधि पर समीक्षा करेगा।' ऑडिट कमेटी का हेड किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट को बनाने का नियम है। इरडा की योजना कम्प्लायंस में सुधार और जोखिमों से निपटने के लिए कंपनी के चीफ रिस्क ऑफिसर को इनवेस्टमेंट कमेटी में शामिल करने की है। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के CEO अनूप राउ के मुताबिक, 'इनवेस्टमेंट कमेटी में चीफ रिस्क ऑफिसर को अनिवार्य तौर पर शामिल करने से इनवेस्टमेंट को लेकर ज्यादा संतुलित और समग्र नजरिया बनेगा।' इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ा संगठन लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल प्रपोजल्स पर विचार करने के लिए इस सप्ताह अपने मेंबर्स के साथ मीटिंग करेगा। टिप्पणियां भेजने की अंतिम तारीख 10 जुलाई है। इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों को प्रमोटर बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट करने से रोकने का भी सुझाव दिया है। इसके साथ ही यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस फंड्स का 25 पर्सेंट इनवेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करने का प्रपोजल है। रेगुलेटर का कहना है कि कंपनी को शेयरहोल्डर्स और पॉलिसीहोल्डर्स दोनों की सभी इनवेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस का ऑडिट इंटरनल या कॉनकरेंट ऑडिटर से करवाना चाहिए।

इरडा का प्रपोजल

- **इरडा ने** इंश्योरेंस कंपनियों के बोर्ड का स्ट्रक्चर मजबूत करने और उसे बढ़ाने का प्रपोजल दिया है
- **इसका मकसद** इनवेस्टमेंट और ऑडिट कमेटी जैसे अलग-अलग रोल्स के बीच होने वाले हितों के टकराव को रोका जा सके